1993. No regulation of power suply has been done in case of Delhi Electric Supply Undertaking and Jammu & Kashmir.

(d) As per Government's policy, National Thermal Power Corporation will encourage investments in States which are better in pavments of dues.

Statement

Outstanding dues/recoveries made

(Rs. in crorcs)

Year	Amount billed	Amount recovered		Outstanding 5 as on 31st March	iurcharge for delayed payment
		Direct	*CA		
UPSEB 1993-94	1078.75	884.94	130.70	392.16	249.62
1994-95	1226.18	969.23	96.10	553.01	268.25
1995-96 *96) (upto Jan.	1028.22	878.56	96.10	606.56®	268.25®
HSEB					
1993-94	373.89	224.45	33.82	264.87	107.34
1994-95	327.24	327.57	66.98	197.56	106.59
1995-96 *96) (upto Jan.	335.25	314.49	67.00	151.32®	106.59®
J&K					
1993-94	131.77	76.46	0.00	169.87	18.65
1994-95	160.40	50.91	49.19	230.17	33.58
1995-96 *96) (upto Jan.	144.72	74.79	49.18	250.92®	33.58®
DESV					
1993-94	385.92	317.53	0.00	167.68	63.73
1994-95	539.39	422.00	0.00	285.07	74.63
1995-96 *96) (upto Jan.	648.05	472.50	0.00	460.62®	74.63®

*CA-Central Appropriation; @' As on 31.1.1996.

मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में दूरदर्शन नेटवर्क का विस्तार किया जाना

70.**श्री दिलीप सिंह जूदेव :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में दूरदर्शन नेटवर्क में सुधार लाने और उसका विस्तार करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचारधीन है,

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कौन-कौन सी विशिष्ट योजनाएं बनायी गयी है,

(ग) क्या राज्य के रायगढ़ छत्तीसगढ़ और सरगूजा क्षेत्रों के लिए कोई योजना तैयार की गई है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री पी.एम.सईद): (क) से (घ) जन-जातीय क्षेत्रों सहित राज्य में टी.वी. सेवा का और विस्तार करने की दृष्टि से, विवरण में दिए गए ब्यौरे अनुसार कई टी.वी. परियोजनाओं मध्य प्रदेश में वर्तमान में कार्यान्वित है।

विवरण

उन स्थानों की सूची जहां मध्य प्रदेश राज्य में वर्तमान में टी.वी.परियोजना कार्यान्वयनाधीन है/स्थापित किए जाने का विचार है

स्टूडियो	अं. श. ट्रा.	अ.अ.शा.ट्रा.
ग्वालियर	गदखाडा	सिंगरौली
जगदलपुर	कुकडेश्वर	कोन्डा गांव
इन्दौर	बाडा मलहेरा	जश्पुर नगर
	भन्डेर	कोयली खेडा
	केलारस	पेन्डारा रोड
	शक्ति	डायमंड
	नारायणपुर	माइनिंग
		प्रोजैक्ट
	गारोट	मोडकपाल
	सरनगढ़	बीजापुर
	भानपांडा	
	सीता मऊ	
	पिपारियां	

गए दिशा-निर्देश

71. **श्री अजीत जोगी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड से सम्बंध क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा फिल्मों में अश्लीलता और आपत्तिजनक दृश्यों पर रोक लगाने के लिए बनाये गये नए दिशा-निर्देश बोर्ड के सदस्यों के अवलोकन/टिप्पणी के लिए हाल ही में परिचालित किए गए है,

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है, और

(ग) इन दिशा-निर्देशों को कब तक अन्तिम रूप से स्वीकृति दिए जाने और लागू किए जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम.सईद) : (क) से (ग) केन्द्र सरकार द्वारा चलाचित्रिकी अधिनियम, 1952 की धारा 5 ख (2) के अन्तर्गत इसकी शक्तियों के अनुसार 6.12.1991 को जारी किए गए मार्ग-निर्देशों की एक प्रति विवरण। के रूप मे संलग्न है। (नीचे देखिए) केन्द्र सरकार ने कोई और मार्ग निर्देश जारी नहीं किए है। केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (के.फि.प्र.बोर्ड) ने भी कोई नए माग्र निर्देश जारी नहीं किए है। तथापि केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने जुलाई, 1994 में बंगलौर में आयोजित अपनी बैठक में ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करके जिससे मौजूदा संहिताओं का अनुपालन किया जा सकता है, मार्ग-निर्देशों के व्यावहारिक पहलुओं का अध्ययन करने की कोशिश की है। फिल्म तथा विभिन्न क्षेत्रीय काय्रलायों के बीच किसी महत्वपूर्ण अंतर के फिल्मों की जांच करने के इसके पैनल सदस्यों की सहायता करने के लिए यह एक आन्तरिक प्रयोग था। इस बैठक के दौरान तैयार की गई आपत्तिजनक दृश्यों की अंतरिम सूची की एक बात प्रति विवरण-II के रूप में संलग्न हैं।

विवरण-I

(भारत के असाधारण राजपत्र के भाग-2 खंड, के उपखंड (II) प्रकाशित सूचना और प्रसारण मंत्रालय की दिनांक 6 दिसम्बर, 1991 की अधिसूचना सं.8051/1/90-एफ (सी) से लिया गया सार ।

सा.का केन्द्रीय सरकार, चलचित्र अधिनिमय, 1952 (1952 का 37) की धारा 5 ख की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.9 (अ) तारीख 7 जनवरी, 1978 को उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, निदेश देती है कि फिल्म के सार्वजनिक प्रदर्शन की मंजूरी देने के लिए फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड के निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धान्त होंगे:-

1. फिल्म प्रमाणीकरण का उद्देश्य यह सुनियिश्चत करना होगा कि:-

(क) फिल्म माध्यम समाज के मूल्यों और मानकों के प्रति उत्रदायी और संवेदनशील बना रहें,